

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/छात्रवृत्ति/सेल-ई/ मु.ह.बे.यो/2019-20

दिनांक: 21-10-19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-मुख्यालय

विषय:- "मुख्यमंत्री हमारी बेटियों योजना" के अन्तर्गत पूर्व में जारी व्यय व भुगतान के दिशा-निर्देशों में विस्तार।

प्रसंग:- शासन का पत्रांक : प.17(11)शिक्षा-1/2015, जयपुर, दिनांक : 16.10.2015, 05.05.16, 12.07.16 व 11.06.18, 25.09.2019 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.10.15, 24.05.16 व 26.05.18 व 05.08.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक निर्देशानुसार "मुख्यमंत्री हमारी बेटियों योजना" के अन्तर्गत आपको समय-समय अवश्यक दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन इस कार्यालय द्वारा दिए गये। शासन के द्वारा "मुख्यमंत्री हमारी बेटियों योजना" के क्रियान्वयन हेतु मुख्य दिशा-निर्देश पत्रांक प.17(11)शिक्षा-1/2015, जयपुर, दिनांक : 16.10.2015 (प्रति संलग्न) को जारी किए गये थे। उक्त दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार के पत्रांक प.17(11)शिक्षा-1/2015, जयपुर, दिनांक : 25.09.2019 के द्वारा योजनान्तर्गत व्यय व भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों का विस्तार करते हुए निम्नांकित मार्गदर्शन व स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं-

- राज्य सरकार के पत्रांक प.17(11)शिक्षा-1/2015, जयपुर, दिनांक : 16.10.2015 की बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार चयनित मेधावी बालिकाओं को कक्षा 11 से स्नातकोत्तर/प्रशिक्षण प्राप्त करने तक सहायता प्रदर्शन की जानी हो यहां स्पष्ट किया जाता है कि सहायता के लिए अवधि का निर्धारण अकादमिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनुसार निम्नानुसार किया जाना है:

• अकादमिक कोर्स (नियमित विद्यार्थी)

कोर्स का नाम	सहायता प्रदान की जाने की अवधि
1. स्नातक स्तर पर बीए/बीएससी/बी.कॉम	3 वर्ष
4 स्नातकोत्तर स्तर पर एम. ए./एम. कॉम/एम.एससी	2 वर्ष

• व्यवसायिक कोर्स (नियमित विद्यार्थी)

1. 10वीं के बाद (डिप्लोमा कोर्स)	
a. ITI	2 वर्ष
b. Polytechnic	3 वर्ष
2. 12 वीं के बाद (डिप्लोमा कोर्स)	
a. D.E.I.Ed	2 वर्ष
b. D Pharm	2 वर्ष
c. GNM	3 वर्ष
d. D.Lib.Sc.	1 वर्ष

3. स्नातक स्तर पर	
a. B.E./B.tech	4 वर्ष
b. B.Arch.	5 वर्ष
c. B.sc. Agriculture	4 वर्ष
d. B.E/B.Tech(after polytechnic)	3 वर्ष
e. B.E/B.tech (Sandwich Course)	5 वर्ष
f. BBA	3 वर्ष
g. BCA	3 वर्ष
h. MBBS	5 वर्ष
i. BDS	5 वर्ष
j. BPT	4.5वर्ष
k. BVSC	5 वर्ष
l. BHMS	5 वर्ष
m. BHMS	5 वर्ष
n. BUMS	5 वर्ष
o. B.ED	2 वर्ष
p. B.P.D/B.P.ED	3 वर्ष
q. B.Lib.sc	4 वर्ष
r. LL.B	3 वर्ष
s. B Phram	3 वर्ष
t. B.Sc.(Nursing)	3 वर्ष
u. Combo Dual Degree	3 वर्ष
v. स्मकक्ष स्नातक कोर्स पर	3 वर्ष
4. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (कोम्बो डिग्री)	
a. स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री संयुक्त रूप से	5 वर्ष
b. इसी प्रकार की अन्य डिग्री स्नातकोत्तर सहित	5 वर्ष
5. स्नातकोत्तर स्तर पर	
a. M.Tech/M.arch/MBA/ MCA/LL.M	2 वर्ष
b. PG in Madical Sc./Ayurvedice/ Homeopathic/Unani/Physiotherp Veterinary	3 वर्ष
c. M Pharam	2 वर्ष

d. M.Sc.(Nursing)	2 वर्ष
e. M.Sc. (Agriculture)	2 वर्ष
f. M.lib.Sc.	2 वर्ष
g. M.Ed/M.P.Ed.	2 वर्ष
h. समकक्ष स्नातकोत्तर कोर्स पर	2 वर्ष

नोट:-

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अकादमिक या व्यवसायिक कोर्स दोनों में से एक ही कोर्स के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी।
 2. स्नातक के पश्चात एक वर्षीय पी.जी/पी.जी डिप्लोमा करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। लेकिन डिप्लोमा के पश्चात पी.जी. डिग्री करने पर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी।
 3. यदि कोई कोर्स या विषय संज्ञान में आता है जो उक्त कोर्सेज में सम्मिलित नहीं है, तो इसके लिए पृथक से प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की जाये।
- राज्य सरकार के पत्रांक प.17(11)शिक्षा-1/2015, जयपुर, दिनांक : 16.10.2015 की बिन्दु सं. 3.3 के अनुसार कोंचिंग संस्थानों से तात्पर्य जिले में चल रहे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों (संस्थागत संस्थानों) से है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर ट्यूशन (पर्सनल ट्यूशन) से है।
 - कोचिंग संस्थान के स्थान पर व्यक्तिगत स्तर शिक्षक से कोचिंग/प्रशिक्षण प्राप्त करती है तो इसके लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी।
 - यदि बालिका किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है तो बालिका को पुनः उसी कक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
 - 12वीं के पश्चात यदि बालिका स्नातक हेतु किसी महाविद्यालय में प्रवेश न लेकर अथवा स्वयंपाठी/पत्राचार द्वारा स्नातक में प्रवेश में लेकर किसी कोचिंग संस्थान में अध्ययनरत हो तो उसका वित्तीय भुगतान प्रथम एक वर्ष के लिए केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
 - 11वीं/12वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश या प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग लेने पर प्रथम एक वर्ष के लिए ही एक ही बार राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा, जिसके लिए छात्र पात्र है।
 - स्नातक के बाद प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिये कोचिंग लेने पर प्रथम एक वर्ष के लिए ही एक ही बार राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा, जिसके लिए छात्र पात्र है।

प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

21/10/19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, मण्डल कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा को योजना की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु व प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

क. शो. उ. व. म.
21/10/19
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर